

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

विविध रसद प्रकरण सं. 26/2024

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी—

श्री मनोहरलाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी
पादरू का बास सिवाना, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

- अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- श्री छत्रकरण भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 25.09.2024 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स भैरूनाथ पावभावी सिवाना जिला बालोतरा का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री मनोहरलाल उपस्थित मिले। मौके पर 1 घरेलु गैस सिलेण्डर भट्टी से गैर पाईप लाईन से जुड़े पाए गए तथा 7 घरेलु सिलेण्डर दुकान के पीछे बाड़े में रखे हुए वक्त जांच पाए गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है—

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	973093	Indane	16.3	16.3	
2.	917776	Indane	15.5	15.5	
3.	381730	Indane	15.8	15.8	
4.	390961	Indane	15.7	15.7	
5.	400759	Indane	15.5	15.5	
6.	031164	Indane	15.5	15.5	
7.	281061	Indane	15.6	15.6	
8.	850697	Indane	15.6	15.8	1.0

- मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरुपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा

जिला कलक्टर
बालोतरा

- गैस सिलेण्डर को मैसर्स इंडेन गैस सर्विस सिवाना के मैनेजर श्री बोताराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।
 4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान के नाम कनेक्शन ले रखा है। उक्त टंकिया जो मेरे बाड़े में रखी थी वो अलग अलग उपभोक्ता की थी तथा उक्त घरेलू सिलेण्डर खाली थे जो घरेलू उपयोग हेतु भरवाने के लिए दुकान के पीछे बाड़े में रखे थे। प्रार्थी ने स्वयं ने कथन किया कि दुकान के पीछे बाड़े में रखे उक्त सिलेण्डर खाली थे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मेरी सिलेण्डर वापस दिलाने का आदेश फरमावे।
 5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स इंडेन गैस सर्विस सिवाना के मैनेजर श्री बोताराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि दुकान के पीछे बाड़े में रखे हुए उक्त सिलेण्डर अन्य उपभोक्ता के थे जो खाली थे, जिसको भरने के लिए यहां रखा गया था। उक्त सिलेण्डर जब करने से उक्त गैस कनेक्शन धारियों का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उसके विरुद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जबाशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि 7 सिलेण्डर

जिला कलक्टर
बालोतरा

- दुकान के पीछे बाड़े में रखे थे जो खाली थे तथा एक सिलेण्डर भट्टी पर लगा हुआ था, जो लगभग खाली ही था। उक्त सिलेण्डर बाड़े में रखे थे, जो खाली थे, लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना साबित नहीं होता है तथा एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) "द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, जिसके लिए उपभोक्ता किसी सरकारी तेल कंपनी के वितरक के पास पंजीकृत है" का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के एक घरेलु गैस सिलेण्डर(जो व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था) मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा 7 घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें तथा एक घरेलु सिलेण्डर जो व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था जो अप्रार्थी द्वारा आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) का उल्लंघन में पाये गये एक गैस सिलेण्डर राजसात किया जाए। एक घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।
7. आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, बालोतरा
प्रशासनिक